Dummy issue Vichar prikarama page 1-19.qxd 7/27/2010 9:28 PM Page 14

न्यायिक तंत्र में छेद

बीते साल को न्यायिक व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता के तौर पर देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कानून बनने से पहले ही अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक कर दी। इसे सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है

■ **प्रवीण प्रभाकर**

हाल ही में दुनिया की नामी-गिरामी समाचार एजेंसियों में एक रॉयटर्स ने ग्लोबल करप्शन वॉचडॉग और ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल की मदद से भारत के 6 महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार विवादों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इनमें एक गाजियाबाद न्यायिक तंत्र में भ्रष्टाचार का मामला भी है। गौरतलब है कि साल 2008 में एक जांच के दौरान दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कोर्ट के कोषागार के गलत इस्तेमाल के मामले में 36 जजों को दोषी पाया गया। बहरहाल न्यायिक तंत्र में भ्रष्टाचार और रिश्वत की यह बानगी भर है। एक आकलन के मुताबिक साल 2006 में 36 फीसदी भारतीयों ने न्यायिक तंत्र को किसी न किसी रूप में रिश्वत दी।

हालांकि इन रिपोर्टों में जजों के संलिप्त होने के मामलों का पता बहुत कम ही चलता है। लेकिन पिछले साल कर्नाटक के चीफ जस्टिस पी डी दिनाकरन पर कई आरोप लगे। मसलन आय से अधिक संपत्ति, बेइंतहा तरक्की, रसूख का इस्तेमाल वगैरह-वगैरह। उन पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया और जांच प्रक्रिया जारी है।

बहरहाल इस पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और राज्य सभा सांसद राम जेठमलानी का कहना है कि भ्रष्टाचार में लिप्त जजों के और भी कई उदाहरण मिल जाएंगे। जस्टिस वी. रामास्वामी को ही लीजिए। संसद ने एक जांच समिति बनाई थी और इस समिति ने माना था कि वी. रामास्वामी भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी ने महाभियोग नहीं लगाने का फैसला लिया। वहीं, राजस्थान हाई कोर्ट के जज को एक महिला डॉक्टर के साथ बदतमीजी का दोषी पाया गया। जज ने सिर्फ अपना इस्तीफा सौंपा। मैसूर में कुछ जज सेक्स स्कैंडल में संलिप्त पाए गए। उन जजों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली हाई कोर्ट का एक जज लगातार एक केस को टालता रहा। एक दशक तक ट्रायल नहीं चला।

दरअसल उस जज ने एक प्रॉपर्टी डीलर से इसी काम के लिए घूस लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। जाहिर तौर पर न्यायिक भ्रष्टाचार के मसले दिनानुदिन बढ़ते जा रहे हैं। रामजेठ मलानी ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस बारूच ने सार्वजनिक तौर पर माना कि 20 फीसदी जज भ्रष्ट हैं। सवाल यह है कि क्या 80 फीसदी जज सही हैं? जनता इसे उत्सुकता से जानना चाहती है।

वैसे बीते साल को न्यायिक व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता के तौर पर देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कानून बनने से पहले ही अपनी संपत्ति की

Dummy issue Vichar prikarama page 1-19.qxd 7/27/2010 9:28 PM Page 15

जानकारी सार्वजनिक कर दी। इसे सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। लेकिन इससे पहले काफी माथापच्ची हुई। जजों ने शुरू में ना-नुकर भी किया। लेकिन अपने ऊपर शक की सूई को बढ़ते देख उन्हें मजबूरन फैसला लेना पड़ा। इस पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश जस्टिस वीएन खरे खुशी जताते हैं। बकौल वीएन खरे-यह अच्छा रहा। इससे व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही तो आएगी ही, साथ ही लोग भी यह जान जाएंगे कि उनके केस पर फैसला लेने वाला शख्स कितना सही है ? लेकिन वे इस बात पर ज्यादा चिंता जताते हैं कि हमारे यहां देरी से न्यायिक फैसले आते हैं। बकौल वीएन खरे मौजूदा दौर में न्यायिक व्यवस्था प्रक्रिया को तेज गति से काम करना होगा। भोपाल गैस कांड जैसे फैसलों में देरी की वजह से आज केस कमजोर हुआ और लोगों को अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। वीएन खरे यहां तक मानते हैं कि लंबित मामले ही भ्रष्टाचार की पहली सीढ़ी है। दरअसल उनका इशारा आरोपी पक्ष की करतूतों पर है। ज्यादातर मामलों में आरोपी पक्ष रिश्वत देकर मामले को बड़गलाने में जुट जाते हैं।

> भारत में हर साल दो लाख मामले कोर्ट में दायर होते हैं, जबकि सालाना नौ हजार मामले की सुनवाई भी पूरी नहीं हो पाती है

इससे फैसले को आने में काफी वक्त खींच जाता है।

भारत में हर साल दो लाख मामले कोर्ट में दायर होते हैं, जबकि सालाना नौ हजार मामले की सुनवाई भी पूरी नहीं हो पाती है। मौजूदा वक्त में जिला कचहरी में 270 मिलियन, हाई कोर्ट में चार मिलियन और सुप्रीम कोर्ट में 50 हजार केस लंबित है। इस वजह से फैले भ्रष्टाचार पर देश के केंद्रीय कानून मंत्री वीरप्पा मोइली भी चिंता जता चुके हैं। जुलाई 2010 में चेन्नई में दिए भाषण के दौरान मोइली ने साफ तौर पर कहा कि लंबित मामलों को कम करने के लिए कोर्ट को जवाबदेह और उत्तरदायी बनना होगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश और श्रीकृष्णा आयोग के अध्यक्ष रह चुके जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा कहते हैं कि दरअसल कहने भर से काम नहीं चलने वाला है। ज्यादा से ज्यादा फास्ट ट्रेक कोर्ट का गठन जरूरी है। साल 1562 फास्ट ट्रेक कोर्ट क गठन का लक्ष्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। जानकार ये भी बताते हैं कि जजों की नियुक्ति तक में पैसे का बोलबाला है। इस पर जस्टिस वीएन खरे कहते हैं कि बड़े शहरों में इस तरह के मामले नहीं आते हैं। हा, छोटे शहरों में इस तरह के इक्का-दुक्का मामले सुनने को मिलते हैं। बकौल खरे लॉ कमिशन की 230 वीं रिपोर्ट में सुझाव है कि हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकील को उसी कोर्ट में जज नहीं बनाया जाए। वैसे देश में जजों की कमी भी भ्रष्टाचार की वजह है।

हालांकि इन दिनों मीडिया की भूमिका इतनी सशक्त हो गई है कि भ्रष्टाचार के मामले छुपाए नहीं छुप रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आम जनता अब पंच परमेश्वर की सोच से बाहर निकल रहा है। ऐसे में न्यायिक तंत्र में सबकुछ ठीकठाक हो जाएगा, इसका भरोसा तो जगता ही है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा बेहतर होगा कि न्यायिक व्यवस्था खुद अपनी गंदगियों को साफ करे। इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील और खुद कानून मंत्री भी सहमत है। इसी को देखते हुए केंद्र न्यायिक मापदंड और जवाबदेही बिल-2010 मानसून सत्र में लाने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश जस्टिस एस राजेंद्र बाबू कहते हैं कि इस बिल से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या इस सत्र में यह बिल पास हो पाएगा।
यानी कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के मामले में भी वही राग है- देर है पर अंधेर नहीं। ♦